क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/10/23	उभय पक्ष उपस्थित/अधिवक्ता संघ ने न्यायिक कार्य [illegible]/ P.O. साहब अन्य प्रशासनिक [illegible] के कार्य [illegible].....है। पत्रावली गत आदेशानुसार [illegible] 19/10/23 [illegible] पेश हो। (रीडर)
	19/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार शाहपुरा से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट मुताबिक दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः दावा कुर्रेजात रिपोर्ट मुताबिक अंतिम डिक्री किया जाता है। फैसला पृथक से लिखकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम हो। [signature] सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय :– सहायक कलक्टर (फास्ट – ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

ठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

ाद संख्या :– 110/2023

शीर्षक

1. कालूराम बुनकर पुत्र गैंदा लाल बुनकर, जाति बलाई, निवासी अरणियां तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1. कौशल्या पुत्री मालचन्द
2. रजनी पुत्री मालचन्द
   समस्त जाति खटीक, निवासी ग्राम शिवपुरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
3. उपपंजीयक–शाहपुरा/मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 19/10/2023

वाद संक्षेप इस प्रकार है कि हाल आ0ख0नं0 5518 रकबा 0.2600, 5520 रकबा 0. 700 है0 कुल किता – 2 कुल रकबा 0.5300 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का – नोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी खातेदारी में वादी का 19/20 ़स्सा तथा प्रतिवादी संख्या – 1 का 1/40 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या – 2 का 1/40 हिस्सा र्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी सं0 – 2074 से 2077 खाता संख्या – 53 संलग्न वाद त्र है। उक्त भूमि वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पूर्व खातेदारान् से खरीदकर रखा है ास पर वादी काबिज रहकर काश्त व उपयोग उपभोग करता आ रहा है, जिसका मान्तरकरण भी वादी के नाम दिनांक 29.09.2023 को जमाबंदी में दर्ज हो चुका है। उक्त र्णेत भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं0–1 लगायत 2 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त ा0ख0नं0 की भूमि पर शामिल में ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि का ्रातेदारान् के मध्य कोई कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ गयी ै और उन्होंने वादी के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है और वादी को उसके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत व अडचन पैदा करने लग गये है तथा उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करने व वादी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा उक्त विवादित आराजी मुतनाजा के उपजाउ व विशिष्ट भू–भाग का बेचान दीगर व्यक्तियों के पक्ष में करने पर आमादा है।

यह कि अभी 5 दिन पूर्व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 अपने परिवार सहित उक्त विवादित आराजी मुतनाजा पर आये और उक्त विवादित भूमि की नाप जोख करने लगे वादी ने नाप जोख का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करेगे तथा भूमि का बेचान करेगे जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को मना किया कि और कहा कि अभी अपनी भूमि का कानूनी बंटवारा नही हुआ है तथा आपको किसी भी विशिष्ट भू–भाग को बिना बंटवारा करवाये बेचान करने व निर्माण कार्य करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नही है जिस पर प्रतिवादीगण ने ऐलानिया कहा कि हम तो बिना तकास्मा कराये ही उक्त विवादित भूमि के विशिष्ट व उपजाऊ भू–भाग का बेचान दीगर अजनबी व्यक्तियो को करेगे तथा निर्माण कार्य करके रहेगे इस प्रकार प्रतिवादीगण की हरकतो से स्पष्ट है कि वे सहखातेदारी में नही रहना चाहते है व उक्त भूमि का बिना तकास्मा कराये ही विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करने व बेचान करने को आमादा फिसाद है इसलिये वादी को प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 के विरूद्ध अधिकार हासिल है कि न्यायालय द्वारा उक्त विवादित भूमि का सरस नरस के आधार पर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

बंटवारा कराया जाकर वादीगण के हिस्से में आयी भूमि का पर्चा लगान अलग अलग निर्धारित करावे।

यह कि वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की सामलाती सम्पति मुतनाजा है उक्त आराजीयात का पूर्व में कानूनी बंटवारा नही हुआ है इस कारण उक्त आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जावेगा तथा आराजी में निहित पेड पौधे पूला पानी पर प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा माना जावेगा लेकिन प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 2 उक्त भूमि का बिना बंटवारा कराये ही उसके उपजाऊ विशिष्ट भू–भाग को दीगर व्यक्तियो को बेचान कर निर्माण कार्य करने को आमादा है तथा वादी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते है।

यह कि प्रतिवादीगण अपने मन्सूबो में सफल हो गये और उन्होने आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य कर लिया या आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को दिगर व्यक्तियो को बेचान कर उनके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर व आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर वादी को आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल कर आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर अजनबी व्यक्तियो का कब्जा करवा देगे तो इससे वादी के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा जिससे वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में संभव नही हो सकेगी तथा पक्षकारो में अनावश्यक मुदमे बाजी बढेगी इस कारण वादी को यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी का बंटवारा करवाने व उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आ0ख0नं0 5518 रकबा 0.2600, 5520 रकबा 0.2700 है0 कुल किता – 2 कुल रकबा 0.5300 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का – मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड (सरस–नरस के आधार पर) राजस्व बोर्ड के नियमो के आधार पर बंटवारा करवाया जाकर रास्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि हाल आ0ख0नं0 5518 रकबा 0.2600, 5520 रकबा 0.2700 है0 कुल किता – 2 कुल रकबा 0.5300 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का – मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में बाद बंटवारा वादी के हिस्से में आयी भूमि के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नही करे जबकि वादी को शांति पूर्वक अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करने देवे। आराजी मुतनाजा को दीगर व्यक्तियो को रहन बय हस्तान्तरण नही करे। आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिवत प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। बाद तामील प्रतिवादीगण अनुपस्थित। इनके विरूध दिनांक 12.10.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 12.10.2023 को प्रकरण को प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2023/3531 दिनांक 19.10.2023 से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। बंटवारा कुर्रेजात पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद–पत्र को अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर के हाल आ0ख0नं0 5518 रकबा 0.2600, 5520 रकबा 0.2700 है0 कुल किता – 2 कुल रकबा 0.5300 है0 भूमि का खातेदारान के मध्य बंटवारा कर निम्नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. **कालूराम बुनकर पुत्र श्री गैंदालाल बुनकर जाति बलाई निवासी अरनिया तह0 आमेर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5518/2 रकबा 0.2335, 5520 रकबा 0.2700 है0 भूमि रहेगी।**

2. **कौशल्या, रजनी पुत्रियां मालचन्द हिस्सा बराबर जाति खटीक सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5518/1 रकबा 0.0265 है0 भूमि रहेगी।**

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नही करें। पर्चा डिक्री जारी। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 19/10/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 110/2023

शीर्षक

1. कालूराम बुनकर पुत्र गैंदा लाल बुनकर, जाति बलाई, निवासी अरणियां तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान। –वादीगण

बनाम

2. कौशल्या पुत्री मालचन्द
3. रजनी पुत्री मालचन्द
   समस्त जाति खटीक, निवासी ग्राम शिवपुरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
4. उपपंजीयक–शाहपुरा/मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 19|10|2023

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर के हाल आ0ख0नं0 5518 रकबा 0.2600, 5520 रकबा 0.2700 है0 कुल किता – 2 कुल रकबा 0.5300 है0 भूमि का खातेदारान के मध्य बंटवारा कर निम्नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. कालूराम बुनकर पुत्र श्री गैंदालाल बुनकर जाति बलाई निवासी अरनिया तह0 आमेर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5518/2 रकबा 0.2335, 5520 रकबा 0.2700 है0 भूमि रहेगी।

2. कौशल्या, रजनी पुत्रियां मालचन्द हिस्सा बराबर जाति खटीक सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5518/1 रकबा 0.0265 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 19|10|2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

फर्द अहकाम

गेन्दू बनाम मोहन

ACM शाहपुरा (जयपुर)

(73/07)

नं 87/2013

धारा

आज्ञा या र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
[illegible]/23	आज यह पत्रावली नियत तारीख पेशी से पिरक्त लिपिक द्वारा पेश की गई। वकील उभयपक्ष को सूचित किया गया। पत्रावली पूर्व नियत कार्यवाही में दिनांक 21/9/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
21/9/23	उभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 9/10/23 को पेश हो। (रीडर)	
9/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/वादी/प्रतिवादी उपस्थित नहीं। बार-2 आवाज लगाई गई। आवाज लगाने पर भी कोई उप० नहीं। अत: पत्रावली अदमहाजरी व अदमपैरवी में खारीज की जाती है। साथ ही प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 28/5/2007 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी, जिसे न्यायालय के आदेश दिनांक 19/6/15 को मूल वाद के निस्तारण तक स्थायी किया गया था। मूल वाद खारीज होने से उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं रहा है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

रवा 120/22

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18-1-23	वकील आवेदक पक्ष उप.। वकील अप्रार्थी व रखवाल रिपोर्ट पर बहस हेतु अवसर चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 20/1/23 को पेश हो। [illegible] सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
	20/1/23	कारण: [illegible] अधिकारी [illegible] साहब अन्य प्र. [illegible] निम्न है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 23/1/23 को पेश हो। (रीडर)
	23/1/23	वकील आवेदक पक्ष [illegible] की गई वास्ते आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 3/2/2023 को पेश हो। [illegible] सहायक कलक्टर शाहपुरा (जि. [illegible] पुर) राज.
	3/2/2023	पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक पक्ष की बहस तथा पत्रावली के अवलोकन के बाद तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पेश कुरेजात रिपोर्ट पर पेश आपत्ति प्रा.पत्र खारिज किया जाकर तथा अंतिम डिक्री जारी की जाती है। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] सहायक कलक्टर शाहपुरा (जि. [illegible] पुर) राज.